

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 301/2026

UPRN180015532026



बालकराम

बनाम

राज्य

धारा 281,106(1),324(4) बी०एन०एस०

मु०अ०सं० 309/2026

थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर

दिनांक – 09/07/2026

जमानत आदेश

अभियुक्त बालकराम पुत्र गुरुप्रसाद के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं० 301/2026 मु०अ०सं० 309/2026 धारा 281,106(1),324(4) बी०एन०एस० थाना घाटमपुर, कानपुर नगर के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त पर रंजिशन झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत/मुचालके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप जमानतीय प्रकृति का हैं। अतः अभियुक्त को जमानत/मुचालके पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अभियुक्त को बीस हजार रुपये की एक जमानत तथा समान धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत/मुचालके पर रिहा किया जाता है।

दिनांक – 09/07/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562